

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/172
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00146
CICOM/R/2019/00495

दिनांक: 04.09.2019

अपीलकर्ता : श्री के. के. गुप्ता,
ए 4/7, कृष्णा नगर,
दिल्ली - 110051.

निर्णय की तारीख: 04.09.2019

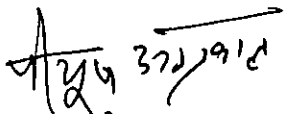
आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	21.06.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	15.07.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	05.08.2019
प्रथम अपील की सुनवाई की तिथि	03.09.2019

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 21.06.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से नौ बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।

2. प्रस्तुत प्रथम अपील की सुनवाई दिनांक 03.09.2019 को अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में की गई। सुनवाई हेतु निर्धारित समय एवं स्थान पर केवल श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ही उपस्थित हुए, अपीलकर्ता अनुपस्थित रहे। संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 21.06.2019 के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 15.07.2019 को प्रेषित की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

3. तदुसार प्रथम अपील खारिज की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।


(पीयूष अग्रवाल)

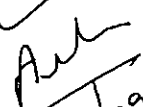
पंजीयक एवं

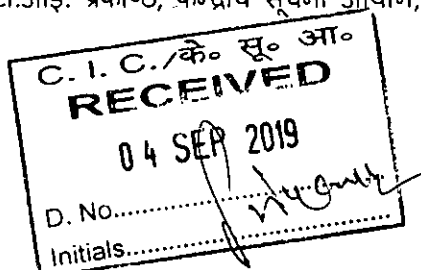
प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26105021

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।


04/09/19



01C